Mandatory Enclosure

SCHOOL AFFILIATION NO.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education



Dated: 17/10/2020

संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0

As per new Affiliation Bye-Laws

Contact Us

Grant Letter for-: EX-02083-1920

NO: CBSE/AFF/3530371 /EX-02083-1920/2019-20/

The Manager, delhi public school village garhi inderjeet, p.o. partappur, tehsil - kashipur, distt - u.s. nagar (u.k) UTTARAKHAND,UDHAM SINGH NAGAR, 244713 (M: 05947-223057,)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding

Ref: Application No. EX-02083-1920

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No: 3530371

Affiliated for: Senior Secondary

Category: Extension of General Affiliation

SCHOOL INFRASTRUCTURE

Particular	No.
Total Campus Area of the School (In square Mtr.)	60702.80 Sq. Mtr.
No. and Size of the Class Rooms (In Square Mtr.)	No. 36 52.42 Sq. Mtr. (each)
No. and Size of Laboratories Including Computer Labs (In squre Mtr.)	No. 5 106.28 Sq. Mtr. (each)
Inter Facility	Yes
No. of Girls Toilets	12
No. of Boys Toilets	12

SOCIETY REGISTRATION





सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाणे

नवीनीकरण संख्या : RENEW0823007473

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि एस जागीर सिंह ऐजूकेशनल सोसायटी। , Gram-Grahi Inderjeet, PO-Pratappur, Tehsil-Kashipur Udham Singh Nagar Uttarakhand 244713 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : UK0670352023011068, दिनांक: 14-AUG-2003 को दिनांक: 13-AUG-2028 तक के लिए नवीकृत किया गया है। रु 14400 /- की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है |

दिनांक : 10-007-2023

सोसाइटी-रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड

Uttarakhand

Signature valid

Digitally signed by: Dr Pankar Kumar Shukla Reason :SOCIETY E-Appropal Location: U S Naga Frea dry Date and Time: 10-18-27-23 10:15:22

मोट :- कृषया पत्राचार करते समय करें।

SCHOOL NOC



संख्याः 1029/XXIV-3/13/01(23)/2013

प्रेषक.

पी०एस०जंगपांगी, अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद समुदाय केन्द्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 28 जून, 2013

विषय:- दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशीपुर, उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर, उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डी द्वारा निर्धारित शर्ती/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- (इ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकंण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली / कौंसिंल फार इण्डियन सर्टीफिकंट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय / संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

Bo

कमभा २

- (झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (ट) उक्त शर्ती में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जवाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
- 3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।
- 4. संस्था / स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25% सरकार प्रायोजित कमजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5. संस्था / स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा
- 6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों / शर्तों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापित प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय. (पी०एस०जंगपांगी) अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1029/XXIV-3/13/01(23)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 5, प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
- 6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी) उप सचिव



SCHOOL SANITATION CERTIFICATE



SAFE DRINKING WATER CERTIFICATE

Ref no: 08/GHMNTL/2013

Certificate

This is to certify that Delhi Public School, Kashipur has an R.O. drinking water filter system installed in the school. The drinking water is safe for the use in the school.

The school is maintaining high standards of hygiene and sanitation as

required.

M.D (Physocians)

Romnagar Namulal

Rag > No. Della MCI. 3210.7

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Letter No: 18 14C

- sold: - 3/2/18

CERTIFICATE

This is to Certify That the Building of Delhi Public School Kashipur at Garhi Inderjeet P.O. Pratappur Kashipur U.S.Nagar Uttarakhand has been Constructed as per drawing and structural norms of Civil Engineering has been followed for construction of said building. The Structure of building is safe from Civil Engineering point of view.

This Certificate is being issued for the purpose of affiliation from the CBSE.

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड क्षी० ब्रि० विभाग

काशीपुर (उर्ज्य सिं० नगर)